कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य / छाप्रोप्र / बी–2 / पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति / 2022–23/42 दिनांक : 30.09.2022

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक –मुख्यालय

विषय :– विभिन्न प्रकार की उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु सत्र 2022–23 के लिए शालादर्पण पोर्टल पर नई ऑटो प्रणाली प्रकिया के तहत उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रभारी द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन अग्रेषित करने के सम्बन्ध में निर्देश।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सत्र 2022–23 में उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु राजस्थान राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों में नियमित अध्ययनरत विद्यार्थियों से सम्पूर्ण औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए नई ऑटो प्रणाली के तहत विद्यार्थियों से छात्रवृति योजनाओं हेतु आवेदन प्राप्त नही किये जाने है अपितु प्रस्ताव शाला दर्पण पोर्टल के स्टेट स्कूल स्कॉलरशिप मॉड्यूल के माध्यम से **संस्था प्रधान द्वारा ऑनलाईन अग्रेषित किये जाने है जिसकी तिथि निम्नानुसार है :–**

क्र.सं.	विवरण	अंतिम तिथि
(अ)	संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर वांछित सूचनाएं ऑनलाईन अपडेट पश्चात् सबमिट / लॉक करने की अंतिम तिथि	10.10.2022

समस्त उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के ऑनलाईन ऑटो प्रोसेस हेतु विस्तृत दिशानिर्देश, पात्रता एवं शर्ते, छात्रवृत्ति की दरें तथा आवश्यक दस्तावेजों का विवरण शिक्षा विभाग की वैबसाईट education.rajasthan.gov.in /secondaryके Scholarship Tab एवं शाला दर्पण पोर्टल के स्टेट स्कूल स्कॉलरशिप मॉड्यूल पर उपलब्ध है। अतः आप अपने अधीनस्थ समस्त संस्थाप्रधानों को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाईन नई ऑटो प्रणाली की प्रक्रिया पूर्ण करने के आवश्यक दिशा–निर्देश प्रदान कर ऑटो प्रोसेस प्रक्रिया पूर्ण करवाना सुनिश्चित करें।

- कार्मिक टैब के वर्क इंचार्ज में पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृति इंचार्ज बनाया जाना है।
- संस्था प्रधान को शालादर्पण में विद्यार्थी टेब के अन्तर्गत "लाभकारी योजनाओं के लिए अनिवार्य छात्र सूचना" को योजना की आवश्यकता अनुसार पूर्ण किया जाना है।
- यदि विद्यालय छात्रवृत्ति प्रभारी ने किसी छात्र को किसी भी योजना के लिए स्वीकार नहीं किया और उसे अस्वीकार भी नहीं किया तो किसी भी योजना के लिए पात्र होने पर सिस्टम उस छात्र को शेड्यूल समाप्त होने के बाद उस योजना हेतु स्वतः पात्र कर देगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी संस्थाप्रधान की होगी।
- उक्त योजनान्तर्गत आधार ऑथेन्टिकेशन अनिवार्य होगा एवं छात्रवृत्ति राशि का भुगतान विद्यार्थी के आधार नम्बर से सीडेड बैंक खातें में डीबीटी माध्यम से किया जायेगा।
- छात्रवृत्ति राशि जनाधार कार्ड में दर्ज विद्यार्थी के बैंक खाता में दी जाऐगी। जनाधार में विद्यार्थी बैंक खाता नही होने की स्थिति में जन आधार कार्ड में विद्यार्थी का बैंक खाता ई–मित्र के माध्यम सें जुड़वाना होगा। विद्यार्थी का आवेदन में प्रदर्शित बैंक खाता , बैंक नियमों के अनुसार के.वाई.सी. पूर्ण स्वंय का खाता होना चाहिए। एवं आधार बेस्ड / सीडेड बैंक खाता हो।
- यदि आवेदकों को स्कूल से लॉक होने के बाद दी गई समयावधि में डीईओ द्वारा अनुमोदित / सत्यापित नहीं किया जाता है, तो इन आवेदकों को सिस्टम द्वारा स्वतः अनुमोदित किया जाएगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला शिक्षा अधिकारी की रहेगी।

इस हेतु प्रत्येक राजकीय विद्यालय के संस्था प्रधान यह सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र विद्यार्थी योजना के लाभ से वंचित नहीं रहे। यदि कोई भी पात्र विद्यार्थी योजना के लाभ से वंचित रहता है तो सम्बन्धित संस्था प्रधान का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

संलग्न : विभिन्न पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियों हेतु दिशानिर्देश व युजर मैन्यूल

(गौरव अग्रवाल)
I.A.S.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि :–

1. निदेशक एवं संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर, को सूचनार्थ।

3. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा ।
4. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी.,राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर को भेज कर निवेदन है कि उपर्युक्त समस्त छात्रवृत्तियों हेतु नई ऑटो प्रणाली के तहत आवेदन करने के लिए शाला दर्पण पोर्टल के स्टेट स्कूल स्कॉलरशिप मॉड्यूल टेब आरंभ करवाकर प्रभावी मोनिटरिंग करवायें।
5. समस्त संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) को अपने अधीनस्थ मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा–मुख्यालय, ब्लॉक जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्थाप्रधानों को समय पर शाला दर्पण पोर्टल के स्टेट स्कूल स्कॉलरशिप मॉड्यूल पर नई ऑटो प्रणाली द्वारा छात्रवृति आवेदन हेतु पाबन्द करते हुए प्रभावी मॉनिटरिंग करने बाबत्।
6. शालादर्पण प्रकोष्ठ,उपनिदेशक,माध्यमिक शिक्षा, जयपुर ।
7. वरिष्ठ सम्पादक शिविरा को आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित है।
8. सहायक निदेशक मोनिटरिंग अनुभाग को प्रभावी प्रबोधनार्थ।
9. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग, को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने बाबत।

प्रभारी अधिकारी
छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन प्रकोष्ठ
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य / छाप्रोप्र / बी–2 / पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति / 2022–23 / 44 दिनांक : 30.09.2022

दिशा–निर्देश

सत्र 2022–23 में राजस्थान राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों में नियमित अध्ययनरत विद्यार्थियों से निम्नांकित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में प्रस्ताव नई ऑटो प्रणाली के तहत शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से लिये जाने हैं। इस हेतु शाला दर्पण पोर्टल पर स्टूडेंट टैब के अन्तर्गत "लाभकारी योजनाओं के लिए अनिवार्य छात्र सूचना" को संस्था प्रधान द्वारा अपडेट करना अनिवार्य होगा।

क्र.सं.	छात्रवृत्ति योजना का नाम
1	उत्तर मैट्रिक अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति कक्षा 11 से 12
2	उत्तर मैट्रिक अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति कक्षा 11 से 12
3	उत्तर मैट्रिक अन्य पिछड़ी वर्ग छात्रवृत्ति कक्षा 11 से 12
4	उत्तर मैट्रिक अति पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति कक्षा 11 से 12
5	उत्तर मैट्रिक आर्थिक पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति कक्षा 11 से 12
6	उत्तर मैट्रिक डीएनटी वर्ग छात्रवृत्ति कक्षा 11 से 12

छात्रवृत्ति हेतु आवेदन से सम्बन्धित तिथि :–

विवरण	अंतिम तिथि
संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर वांछित सूचनाऐं ऑनलाईन अपलोड पश्चात् सबमिट / लॉक करने की अंतिम तिथि	**10-10-2022**

उपर्युक्त समस्त उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के ऑनलाईन आवेदन हेतु विस्तृत दिशानिर्देश, पात्रता एवं शर्तें, छात्रवृत्ति की दरें तथा संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों का विवरण शिक्षा विभाग की वैबसाईट https://education.rajasthan.gov.in/content/raj/education/secondary एवं शाला दर्पण पोर्टल के स्कूल स्कॉलरशिप मॉड्यूल पर उपलब्ध है।

उक्त छात्रवृति योजनाओं हेतु विद्यार्थियों से आवेदन पत्र नही लिया जाना है अपितु प्रस्ताव शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से संस्था प्रधान द्वारा ऑनलाईन अग्रेषित किये जाने है।

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

(गौरव अग्रवाल)
IAS
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य/छाप्रोप्र/बी/शाला दर्पण पोर्टल /2022–23/45 दिनांक :30/09/2022

विस्तृत दिशा–निर्देश वर्ष 2022–23

कक्षा 11 व 12 में अध्ययनरत अनुसुचित जाति (SC) के विद्यार्थियों को देय उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति

पात्रता एवं शर्तेः–

- छात्रवृत्ति भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निर्देशान्तर्गत संचालित की जावेगी ।
- छात्र–छात्रा को अनुसुचित जाति वर्ग का होना चाहिए।
- कक्षा 11 व 12 में राजकीय विद्यालयों में अध्ययन करने वाले उक्त संवर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती है।
- विद्यार्थी राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो।
- अनुसुचित जाति का प्रमाण पत्र तहसीलदार या उच्च स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।
- आय प्रमाणपत्र तहसीलदार या उच्च स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो एवं नियोजित माता–पिता/ संरक्षक होने की स्थिति में कार्यालयाध्यक्ष/ विभागाध्यक्ष द्वारा आय प्रमाण पत्र जारी हो।
- इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति लेने वाले छात्र कोई अन्य छात्रवृति के पात्र नहीं होंगे।
- छात्र/छात्रा के माता–पिता /संरक्षक की वार्षिक आय 2,50,000 रुपये की सीमा तक हो।
- **केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत आधार ऑथेन्टिकेशन अनिवार्य होगा एवं छात्रवृति राशि का भुगतान विद्यार्थी के आधार नम्बर से सीडेड बैंक अकाएण्ट में डीबीटी माध्यम से किया जायेगा।**
- **छात्रवृत्ति राशि जनाधार कार्ड में दर्ज विद्यार्थी के बैंक खाता में दी जावेगी। जनाधार में विद्यार्थी बैंक खाता नही होने की स्थिति में जन आधार कार्ड में विद्यार्थी का बैंक खाता ई–मित्र के माध्यम से जुड़वाना होगा। विद्यार्थी आवेदन में प्रदर्शित बैंक खाता , बैंक नियमों के अनुसार के.वाई.सी. पूर्ण स्वंय का खाता हो एवं आधार बेस्ड/सीडेड अकाउण्ट हो।**
- **योजनान्तर्गत विद्यार्थी को कुल देय राशि का 40 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा भुगतान करने के पश्चात शेष 60 प्रतिशत राशि का भुगतान केन्द्र सरकार द्वारा सीधे ही डीबीटी द्वारा किया जावेगा**

छात्रवृत्ति की दरें इस प्रकार हैः–

कक्षा छात्र/छात्रा	छात्रावासी रुपये	डेस्कालर रुपये
11–12	400.00 प्रतिमाह	250.00 प्रतिमाह
कुल राशि	4000 रूपये (अधिकतम 10 माह के लिए)	2500 रूपये (अधिकतम 10 माह के लिए)

छात्रवृत्ति हेतु आवेदन ऑटो प्रोसेस एव वेरिफिकेशन करनें की तिथि :–

विवरण	अन्तिम तिथि
आवेदन पत्र शाला दर्पण पोर्टल के स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल पर स्वंय संस्थाप्रधान द्वारा ऑन लाईन ऑटो प्रोसेस एवं वेरीफिकेशन किए जाने की अन्तिम तिथि	10.10.2022

(गौरव अग्रवाल)
I.A.S.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य/छाप्रोप्र/बी/शाला दर्पण पोर्टल /2022–23/46 दिनांक :30/09/2022

विस्तृत दिशा–निर्देश वर्ष 2022–23

कक्षा 11 व 12 में अध्ययनरत अनुसुचित जनजाति (ST) के विद्यार्थियों को देय उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति

पात्रता एवं शर्तेः–

- छात्रवृत्ति भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निर्देशान्तर्गत संचालित की जावेगी।
- कक्षा 11 व 12 में राजकीय विद्यालयों में अध्ययन करने वाले उक्त संवर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती है।
- छात्र–छात्रा को अनुसुचित जनजाति वर्ग का होना चाहिए।
- विद्यार्थी राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो।
- अनुसुचित जनजाति का प्रमाण.पत्र तहसीलदार या उच्च स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।
- आय प्रमाणपत्र तहसीलदार या उच्च स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।
- नियोजित माता–पिता/ संरक्षक होने की स्थिति में कार्यालयाध्यक्ष/ विभागाध्यक्ष द्वारा आय प्रमाण पत्र जारी हो।
- इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति लेने वाले छात्र कोई अन्य छात्रवृत्ति के पात्र नहीं होंगे।
- छात्र/छात्रा के माता–पिता /संरक्षक की वार्षिक आय 2,50,000 रुपये की सीमा तक हो।
- **केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत आधार ऑथेन्टिकेशन अनिवार्य होगा एवं छात्रवृति राशि का भुगतान विद्यार्थी के आधार नम्बर से सीडेड बैंक अकाएण्ट में डीबीटी माध्यम से किया जायेगा।**
- **छात्रवृति राशि जनाधार कार्ड में दर्ज विद्यार्थी के बैंक खाता में दी जावेगी। जनाधार में विद्यार्थी बैंक खाता नही होने की स्थिति में जन आधार कार्ड में विद्यार्थी का बैंक खाता ई–मित्र के माध्यम से जुड़वाना होगा। विद्यार्थी आवेदन में प्रदर्शित बैंक खाता , बैंक नियमों के अनुसार के.वाई.सी. पूर्ण स्वंय का खाता हो। एवं आधार बेस्ड/सीडेड अकाउण्ट हो।**

छात्रवृत्ति की दरें इस प्रकार हैः–

कक्षा छात्र/छात्रा	छात्रावासी रुपये	डेस्कालर रुपये
11–12	380.00 प्रतिमाह	230.00 प्रतिमाह
कुल राशि	3800 रूपये (अधिकतम 10 माह के लिए)	2300 रूपये (अधिकतम 10 माह के लिए)

छात्रवृत्ति हेतु आवेदन ऑटो प्रोसेस एव वेरिफिकेशन करनें की तिथि :–

विवरण	अन्तिम तिथि
आवेदन पत्र शाला दर्पण पोर्टल के स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल पर स्वंय संस्थाप्रधान द्वारा ऑन लाईन ऑटो प्रोसेस एवं वेरीफिकेशन किए जाने की अन्तिम तिथि	10.10.2022

(गौरव अग्रवाल)
I.A.S.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य/छाप्रोप्र/बी/शाला दर्पण पोर्टल /2022–23/47 दिनांक :30/09/.2022

विस्तृत दिशा–निर्देश वर्ष 2022–23

केन्द्र प्रवर्तित OBC वर्ग के अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए उत्तर–मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 11 से 12)

(Centrally Sponsored Scheme of Post-Matric Scholarship for OBC Students for studying in India)

पात्रता एवं शर्तें:–

- छात्रवृत्ति भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निर्देशान्तर्गत संचालित की जावेगी।
- छात्र जो राजकीय विद्यालयों में कक्षा 11 एवं 12 में नियमित छात्र के रुप में अध्ययन कर रहे हो, उक्त संवर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती है।
- छात्र–छात्रा को OBC वर्ग का होना चाहिए अर्थात– अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC वर्ग में निम्नलिखित 17 श्रैणियों वाले विद्यार्थी ही आवेदन कर सकते है। **जैसे– बी.पी.एल. कार्डधारक की पुत्री/पुत्र , अन्त्योदय कार्डधारक की पुत्री/पुत्र, स्टेट बी.पी.एल. कार्डधारक महिला की पुत्री/पुत्र, अनाथ बालिका/बालक, विद्यवा स्वंय, विद्यवा की पुत्री/पुत्र, तलाकशुदा महिला स्वंय, तलाकशुदा महिला की पुत्री/पुत्र, विशेष योग्यजन स्वंय, विशेष योग्यजन की पुत्री/पुत्र।**
- छात्र–छात्रा ने पिछली कक्षा में न्युनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त वाले विद्यार्थी को प्राथमिकता दी जावेगी।
- छात्र जिनके माता पिता/संरक्षक की वार्षिक आय अन्य पिछडा वर्ग के लिए 2.50 लाख रूपये से अधिक ना हो।
- विद्यार्थी राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो।
- जाति का प्रमाण पत्र तहसीलदार या उच्च स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।
- आय प्रमाणपत्र तहसीलदार या उच्च स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो एवं नियोजित माता–पिता/ संरक्षक होने की स्थिति में कार्यालयाध्यक्ष/ विभागाध्यक्ष द्वारा आय प्रमाण पत्र जारी हो।
- छात्र–छात्रा जिसे केन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक स्त्रोत से अध्ययन हेतु किसी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नही मिल रहा हो।
- **केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत आधार ऑथेन्टिकेशन अनिवार्य होगा एवं छात्रवृति राशि का भुगतान विद्यार्थी के आधार नम्बर से सीडेड बैंक अकाएण्ट में डीबीटी माध्यम से किया जायेगा।**
- **छात्रवृति राशि जनाधार कार्ड में दर्ज विद्यार्थी के बैंक खाता में दी जावेगी। जनाधार में विद्यार्थी बैंक खाता नही होने की स्थिति में जन आधार कार्ड में विद्यार्थी का बैंक खाता ई–मित्र के माध्यम सें जुड़वाना होगा। विद्यार्थी आवेदन में प्रदर्शित बैंक खाता , बैंक नियमों के अनुसार के.वाई.सी. पूर्ण स्वंय का खाता हो। एवं आधार बेस्ड/सीडेड अकाउण्ट हो।**

छात्रवृत्ति की दरें इस प्रकार है:–

कक्षा छात्र/छात्रा	वार्षिक राशि (रूपये में)		
11–12	**Acadmic Allowance**	**Tuition Fee**	**Total**
कुल राशि	**5000**	**0**	**5000**

छात्रवृत्ति हेतु आवेदन ऑटो प्रोसेस एव वेरिफिकेशन करनें की तिथि :–

विवरण	अन्तिम तिथि
आवेदन पत्र शाला दर्पण पोर्टल के स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल पर स्वंय संस्थाप्रधान द्वारा ऑन लाईन ऑटो प्रोसेस एवं वेरीफिकेशन किए जाने की अन्तिम तिथि	10.10.2022

(गौरव अग्रवाल)
I.A.S.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य/छाप्रोप्र/बी/शाला दर्पण पोर्टल /2022–23/48 दिनांक :30/9/.2022

विस्तृत दिशा–निर्देश वर्ष 2022–23

केन्द्र प्रवर्तित EBC वर्ग के अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए उत्तर–मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 11 से 12)

(Centrally Sponsored Scheme of Post-Matric Scholarship for EBC Students for studying in India)

पात्रता एवं शर्तें:–

- छात्रवृत्ति भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निर्देशान्तर्गत संचालित की जावेगी।
- छात्र जो राजकीय विद्यालयों में कक्षा 11 एवं 12 में नियमित छात्र के रुप में अध्ययन कर रहे हो, उक्त संवर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती है।
- छात्र–छात्रा को EBC वर्ग का होना चाहिए अर्थात– आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EBC) वर्ग में निम्नलिखित 17 श्रैणियों वाले विद्यार्थी ही आवेदन कर सकते है। **जैसे– बी.पी.एल. कार्डधारक की पुत्री/पुत्र , अन्त्योदय कार्डधारक की पुत्री/पुत्र, स्टेट बी.पी.एल. कार्डधारक महिला की पुत्री/पुत्र, अनाथ बालिका/बालक, विधवा स्वंय, विधवा की पुत्री/पुत्र, तलाकशुदा महिला स्वंय, तलाकशुदा महिला की पुत्री/पुत्र, विशेष योग्यजन स्वंय, विशेष योग्यजन की पुत्री/पुत्र।**
- छात्र–छात्रा ने पिछली कक्षा में न्युनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त वाले विद्यार्थी को प्राथमिकता दी जावेगी।
- छात्र जिनके माता पिता/संरक्षक की वार्षिक आय अन्य पिछडा वर्ग के लिए 2.50 लाख रूपये से अधिक ना हो।
- विद्यार्थी राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो।
- जाति का प्रमाण पत्र तहसीलदार या उच्च स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।
- आय प्रमाणपत्र तहसीलदार या उच्च स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो एवं नियोजित माता–पिता/ संरक्षक होने की स्थिति में कार्यालयाध्यक्ष/ विभागाध्यक्ष द्वारा आय प्रमाण पत्र जारी हो।
- छात्र–छात्रा जिसे केन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक स्त्रोत से अध्ययन हेतु किसी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नही मिल रहा हो।
- **केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत आधार ऑथेन्टिकेशन अनिवार्य होगा एवं छात्रवृत्ति राशि का भुगतान विद्यार्थी के आधार नम्बर से सीडेड बैंक अकाएण्ट में डीबीटी माध्यम से किया जायेगा।**
- **छात्रवृत्ति राशि जनाधार कार्ड में दर्ज विद्यार्थी के बैंक खाता में दी जावेगी। जनाधार में विद्यार्थी बैंक खाता नही होने की स्थिति में जन आधार कार्ड में विद्यार्थी का बैंक खाता ई–मित्र के माध्यम सें जुड़वाना होगा। विद्यार्थी आवेदन में प्रदर्शित बैंक खाता , बैंक नियमों के अनुसार के.वाई.सी. पूर्ण स्वंय का खाता हो एवं आधार बेस्ड/सीडेड अकाउण्ट हो।**

छात्रवृत्ति की दरें इस प्रकार है:–

कक्षा छात्र/छात्रा	वार्षिक राशि (रूपये में)		
11–12	Acadmic Allowance	Tuition Fee	Total
कुल राशि	5000	0	5000

छात्रवृत्ति हेतु आवेदन ऑटो प्रोसेस एव वेरिफिकेशन करनें की तिथि :–

विवरण	अन्तिम तिथि
आवेदन पत्र शाला दर्पण पोर्टल के स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल पर स्वंय संस्थाप्रधान द्वारा ऑन लाईन ऑटो प्रोसेस एवं वेरीफिकेशन किए जाने की अन्तिम तिथि	10.10.2022

(गौरव अग्रवाल)
I.A.S.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

Rajasthan Education Department

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य/छाप्रोप्र/बी/शाला दर्पण पोर्टल /2022–23/49 दिनांक : 30/9/.2022

विस्तृत दिशा–निर्देश वर्ष 2022–23

केन्द्र प्रवर्तित DNT वर्ग के अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए उत्तर–मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 11 से 12)

(Centrally Sponsored Scheme of Post-Matric Scholarship for DNT Students for studying in India)

पात्रता एवं शर्तें:–

- छात्रवृत्ति भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निर्देशान्तर्गत संचालित की जावेगी।
- छात्र जो राजकीय विद्यालयों में कक्षा 11 एवं 12 में नियमित छात्र के रुप में अध्ययन कर रहे हो, उक्त संवर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती है।
- छात्र–छात्रा को DNT वर्ग (DNT वर्ग की सूची संलग्न) का होना चाहिए अर्थात– DNT वर्ग में निम्नलिखित 17 श्रैणियों वाले विद्यार्थी ही आवेदन कर सकते है। **जैसे– बी.पी.एल. कार्डधारक की पुत्री/पुत्र , अन्त्योदय कार्डधारक की पुत्री/पुत्र, स्टेट बी.पी.एल. कार्डधारक महिला की पुत्री/पुत्र, अनाथ बालिका/बालक, विधवा स्वंय, विधवा की पुत्री/पुत्र, तलाकशुदा महिला स्वंय, तलाकशुदा महिला की पुत्री/पुत्र, विशेष योग्यजन स्वंय, विशेष योग्यजन की पुत्री/पुत्र।**
- छात्र–छात्रा ने पिछली कक्षा में न्युनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त वाले विद्यार्थी को प्राथमिकता दी जावेगी।
- छात्र जिनके माता पिता/संरक्षक की वार्षिक आय अन्य पिछडा वर्ग के लिए 2.50 लाख रूपये से अधिक ना हो।
- विद्यार्थी राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो।
- जाति का प्रमाण पत्र तहसीलदार या उच्च स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।
- आय प्रमाणपत्र तहसीलदार या उच्च स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो एवं नियोजित माता–पिता/ संरक्षक होने की स्थिति में कार्यालयाध्यक्ष/ विभागाध्यक्ष द्वारा आय प्रमाण पत्र जारी हो।
- छात्र–छात्रा जिसे केन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक स्त्रोत से अध्ययन हेतु किसी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नही मिल रहा हो।
- **केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत आधार ऑथेन्टिकेशन अनिवार्य होगा एवं छात्रवृत्ति राशि का भुगतान विद्यार्थी के आधार नम्बर से सीडेड बैंक अकाएण्ट में डीबीटी माध्यम से किया जायेगा।**
- **छात्रवृति राशि जनाधार कार्ड में दर्ज विद्यार्थी के बैंक खाता में दी जावेगी। जनाधार में विद्यार्थी बैंक खाता नही होने की स्थिति में जन आधार कार्ड में विद्यार्थी का बैंक खाता ई–मित्र के माध्यम सें जुड़वाना होगा। विद्यार्थी आवेदन में प्रदर्शित बैंक खाता , बैंक नियमों के अनुसार के.वाई.सी. पूर्ण स्वंय का खाता हो एवं आधार बेस्ड/सीडेड अकाउण्ट हो।**

छात्रवृत्ति की दरें इस प्रकार है:–

कक्षा छात्र/छात्रा	वार्षिक राशि (रूपये में)		
11–12	Acadmic Allowance	Tuition Fee	Total
कुल राशि	5000	0	5000

छात्रवृत्ति हेतु आवेदन ऑटो प्रोसेस एव वेरिफिकेशन करनें की तिथि :–

विवरण	अन्तिम तिथि
आवेदन पत्र शाला दर्पण पोर्टल के स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल पर स्वंय संस्थाप्रधान द्वारा ऑन लाईन ऑटो प्रोसेस एवं वेरीफिकेशन किए जाने की अन्तिम तिथि	10.10.2022

(गौरव अग्रवाल)
I.A.S.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य/छाप्रोप्र/बी/शाला दर्पण पोर्टल /2022–23/50 दिनांक : 30/9/.2022

विस्तृत दिशा–निर्देश वर्ष 2022–23

कक्षा 11 व 12 में अध्ययनरत अति पिछड़ा वर्ग (MBC) के विद्यार्थियों को देय उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति

पात्रता एवं शर्तें:–

- छात्रवृत्ति सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निर्देशान्तर्गत संचालित की जावेगी।
- छात्र–छात्रा को अति पिछड़ा वर्ग (MBC) का होना चाहिए।
- छात्र जो राजकीय विद्यालयों में कक्षा 11 एवं 12 में नियमित छात्र के रुप में अध्ययन कर रहे हो, उक्त संवर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती है।
- छात्र जिनके माता पिता/संरक्षक की वार्षिक आय अन्य पिछडा वर्ग के लिए 2.50 लाख रूपये से अधिक ना हो।
- विद्यार्थी राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो।
- जाति का प्रमाण.पत्र तहसीलदार या उच्च स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।
- आय प्रमाणपत्र तहसीलदार या उच्च स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो एवं नियोजित माता–पिता/ संरक्षक होने की स्थिति में कार्यालयाध्यक्ष/ विभागाध्यक्ष द्वारा आय प्रमाण पत्र जारी हो।
- छात्र–छात्रा जिसे केन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक स्त्रोत से अध्ययन हेतु किसी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नही मिल रहा हो।
- **उक्त योजनान्तर्गत आधार ऑथेन्टिकेशन अनिवार्य होगा एवं छात्रवृति राशि का भुगतान विद्यार्थी के आधार नम्बर से सीडेड बैंक अकाएण्ट में डीबीटी माध्यम से किया जायेगा।**
- **छात्रवृति राशि जनाधार कार्ड में दर्ज विद्यार्थी के बैंक खाता में दी जावेगी। जनाधार में विद्यार्थी बैंक खाता नही होने की स्थिति में जन आधार कार्ड में विद्यार्थी का बैंक खाता ई–मित्र के माध्यम सें जुड़वाना होगा। विद्यार्थी आवेदन में प्रदर्शित बैंक खाता , बैंक नियमों के अनुसार के.वाई.सी. पूर्ण स्वंय का खाता हो। एवं आधार बेस्ड/सीडेड अकाउण्ट हो।**

छात्रवृत्ति की दरें इस प्रकार है:–

कक्षा छात्र/छात्रा	छात्रावासी रुपये	डेस्कालर रुपये
11–12	380.00 प्रतिमाह	230.00 प्रतिमाह
कुल राशि	3800 रूपये (अधिकतम 10 माह के लिए)	2300 रूपये (अधिकतम 10 माह के लिए)

छात्रवृत्ति हेतु आवेदन ऑटो प्रोसेस एव वेरिफिकेशन करनें की तिथि :–

विवरण	अन्तिम तिथि
आवेदन पत्र शाला दर्पण पोर्टल के स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल पर स्वंय संस्थाप्रधान द्वारा ऑन लाईन ऑटो प्रोसेस एवं वेरीफिकेशन किए जाने की अन्तिम तिथि	10.10.2022

(गौरव अग्रवाल)
I.A.S.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

Rajasthan Education Department

(20)

DIRECTORATE OF SOCIAL WELFARE, RAJASTHAN,
JAIPUR.

List of Denotified Tribes, Nomadic Tribes and Semi Nomadic Tribes as approved vide Government in Social Welfare Department Order No. F. 1(F)(2) SW/63 dated 24-2-1964.

DENOTIFIED TRIBES

1. Baori. 2. Kanjar. 3. Sansi. 4. Bagri (Bawaria) 5. Mogia. 6. Nut. 7. Naik. 8. Multanis. 9. Bhat.

NOMADIC AND SEMI NOMEDIC TRIBES

A. NOMADIC TRIBES

1. Baldias (Banjaras). 2. Pardhis. 3. Domabaris. 4. Gadia Lohars. 5. Iranis. 6. Jogi Kalbelia. 7. Jogi Kanphata. 8. Khurpalts. (Kulphaltas) 9. Shikkaligar. 10. Ghisadis.

B. SEMI NOMADIC TRIBES

1. Sarangiwala-Bhopas. 2. Rebaris. 3. Raths. 4. Mangalias. 5. Bhayas. 6. Kannis. 7. Janglus. 8. Jalukus. 9. Jhangs. 10. Sindlus. 11. Jogis—(Other than those included in Nomadic Tribes).
(i) Girinaths. (ii) Ajaipals. (iii) Agamnaths. (iv) Namanths. (v) Jalandhars. (vi) Masanis.
12. Ramaswamies. 13. Bharaddi—Jadhavs.

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते